

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 15 /ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/नैनी0/2017-18,

दिनांक: 24 फरवरी, 2018

संशोधन
कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 04/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/नैनी0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा, क्षेत्रफल 6.00 हैक्टेयर के राजस्व उपखनिज खनन लॉट हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 1934/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के द्वारा H1 जी0एस0 मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या-M171223195345693) द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के नियमान्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 रू0 5,07,14,400/- (रू0 पांच करोड़ सात लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,71,440/- (रू0 पचास लाख इकहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीन दिन (दिनांक 20.02.2018) के अन्तर्गत जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा करायी जानी चाहिए थी, जो H1 जी0एस0 मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या- M171223195345693) द्वारा कार्यालय में जमा नहीं कराये जाने के कारण, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 क के बिन्दु सं0-2 के प्राविधानानुसार H1 जी0एस0 मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या- M171223195345693) की अर्नेस्ट मनी, जो डी0डी0 संख्या 002562, रू0 14,02,500/- (रू0 चौदह लाख दो हजार पांच सौ मात्र) द्वारा जमा की गयी है, जो जब करते हुए, H2 श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (पंजीकरण संख्या-M171228140932340) से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार, अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अन्तर्गत उनके द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,20,950/- (रू0 पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (ख) उप नियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,20,950/- (रू0 पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप 04/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/नैनी0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 में बिन्दु संख्या-9 निम्नवत् उल्लिखित है :-

9- जी0एस0 मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या- M171223195345693) जिन्हें जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा के कुल क्षेत्रफल 6.00 है0 उपखनिज क्षेत्र से कुल 1,32,000 टन उपखनिज निकासी हेतु कुल धनराशि रू0 5,07,14,400/- (रू0 पांच करोड़ सात लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु H1 घोषित है। जी0एस0 मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या-M171223195345693) से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार, अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,71,440/- (रू0 पचास लाख इकहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपके पक्ष में सफल बोलीदाता का घोषणा-पत्र जारी किया जा जायेगा।

यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (ख) उप नियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 50,71,440/- (रू0 पचास

लाख इकहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली यथासंशोधित 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर में ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट कुल क्षेत्रफल 8.6673 है० उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

3- उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 फरवरी, 2018 में अंकित बिन्दु संख्या-9 में आशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् पढ़ा जाय :-

9- जी०एस० मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या- M171223195345693) जिन्हें जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा के कुल क्षेत्रफल 6.00 है० उपखनिज क्षेत्र से कुल 1,32,000 टन उपखनिज निकासी हेतु कुल धनराशि रू० 5,07,14,400/- (रू० पांच करोड़ सात लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु H1 घोषित है। जी०एस० मेहरा एंड संस (पंजीकरण संख्या-M171223195345693) से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार, अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू० 50,71,440/- (रू० पचास लाख इकहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपके पक्ष में सफल बोलीदाता का घोषणा-पत्र जारी किया जा जायेगा।

यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (ख) उप नियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू० 50,71,440/- (रू० पचास लाख इकहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही संपन्न की जायेगी।

आपसे अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली यथासंशोधित, 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल के ग्राम भौसा के कुल क्षेत्रफल 6.00 है० उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

4- उक्त कार्यालय ज्ञाप 04/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू०खनि०ई०/नैनी०/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय और शेष बिन्दु यथावत् पढ़े जाय।


निदेशक